BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 21 मार्च 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दहेज हत्या के आरोपी को 08 वर्ष का कारावास व 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि अभियुक्त अमित पुत्र मदन निवासी मौ0 खारोवान कस्बा व थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष - 2018 में दहेज की मांग पूरी न होने पर फांसी लगाकर अपनी पत्नी की हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 27.03.2018 को थाना जहांगीराबाद पर मुअसं – 164/2018 धारा 498ए/304बी/323/34 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 02.08.2018 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 07 गवाह परिक्षित कराये गये। जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 21.03.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी-03, बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त अमित को 08 वर्ष का कारावास व 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री ध्रुवकुमार वर्मा व श्री भूपेन्द्र राजपूत का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर